उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 747053

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्कः— 1120/—रूपये

मै कि श्रीमति सुनीता चौधरी पत्नी श्री मदनपाल निवासी ग्राम कूकड़ा परना व जिला मुजफ्फरनगर की हूँ जो कि मेरी इच्छा काफी समय से शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने तथा समाज के विभिन्न वर्गो के लिये उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने की रही है अतः मै स्वेच्छा से अंकन **इक्यावन हजार रूपये (51,000/—रूपये)** की प्रारम्भिक पूंजी जो कि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी से ट्रस्ट की घोषणा व स्थापना करती हूँ जिसे सिद्धान्त, स्वरूप व संचालन आदि के लिये निम्नलिखित प्रकार से मर्यादित व व्यवस्थित किया जाता है।

1. नाम :— ट्रस्ट का नाम **"शिवा चेरीटेबिल ट्रस्ट"** होगा।

2. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :— ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय ग्राम कूकड़ा डाकघर नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर रहेगा। ट्रस्ट के हित में लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रधान कार्यालय का भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। भविश्य में ट्रस्ट के शाखा कार्यालय विभिन्न स्थानो पर स्थापित किये जा सकते हैं। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र पूरा भारत वर्श रहेगा।

सुनीता चौधरी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 747054

3. उद्देश्यः– इस ट्रस्ट के स्वरूप में प्रत्युपकार, निर्पेक्ष, सार्वजनिक हित व सार्वकालिक एवं सर्वोतोन्मुखी शैक्षणिक विकास की उच्च दृष्टि विद्यमान है। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है –

(अ) सम्पूर्ण भारत वर्ष में शिक्षा की सेवा ही इसका प्रथम उद्देश्य है तथा उसमें कोई जाति, वर्ण व लिंग भेद–भाव, आदि नहीं किया जायेगा।

(आ) विश्वविद्यालय, स्थानीय शासन, प्रादेशिक व केन्द्रीय एजेन्सी से सम्बद्ध निम्न/उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित कर उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा पद्वति से शिक्षा प्रदान करना।

(इ) मानव कल्याण व मानवाधिकार की रक्षा के लिये योग विद्या, वेदाध्ययन, योग व मैडीटशन सम्बन्धी अनुसंधान व उसके समस्त लाभ के लिये उसकी कक्षायें चलाना व उनकी उपयोगिता को प्रचारित करना एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा व समानता के सिद्धान्त से निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना तथा स्कूल व कॉलेज सम्बन्धी व उनके विषयों को पढाना व आ रही समस्याओं का समाधान करके उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।

सुनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 874476

(इ) ट्रस्ट की आधीन चलने वाली व अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्रो के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं व सामाजिक कार्यक्षेत्र में देशकाल व पात्रता व परिस्थिति के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना व समृद्ध बनाना।

(उ) तकनीकी, गैर तकनीकी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के लिये स्कूल, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी उच्च महाविद्यालय, उच्चतर प्रौद्योगिकी विद्यालय व कॉलेज व वाचनालय की स्थापना करना। सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक कक्षाओं को चलाना व उनका प्रचार व प्रसार करना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान व उससे सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों को देखना व उन पर आवश्यक निर्णय लेना व समाज के कल्याणार्थ सेवायें प्रदान करना।

(ऊ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति व सामाजिक उत्थान के लिये पुस्तकालय स्थापित करना, विभिन्न समाचार व पत्रिकाओ की व्यवस्था करना उनका प्रकाशन कराना व सारी व्यवस्थायें चलाना।

सुनीता चौधरी

(ए) सद्विवेक उद्बोधन प्रक्रियायें आस्था केन्द्र स्थापित करना तथा धर्म के प्रति रूचि जागष्त करना।

(ऐ) शिक्षा क्षेत्र एवं संस्था की स्थिति को सुदष्ढ करने वाली राश्ट्र उपयोगी योजनायें संचालित करना।

(च) रोजगारोन्मुख कार्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षित पुरूषों/महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु जिला, राज्य, राश्ट्रीय स्तर पर सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

(छ) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण वाचनालय/पुस्तकोलय, बागबाडी/आंगनबाडी संचालन, वैकल्पिक उर्जा के कार्यक्रम, कौशल विकास के शिविर, शैक्षणिक भ्रमण, कानूनी सलाह आदि कार्यों का संचालन करना।

(ज) महिलाओं एवं पुरूशों में नियमित खेलकूद की भावना जागष्त करना एवं वैदिक संस्कषति को जन–जन के बीच पहुंचाने हेतु सांस्कषतिक प्रतियोगितायें, नाट्य शिविरों एवं योग शिविरों आदि का आयोजन करना।

(झ) राश्ट्रीय विकास कार्यों में भागीदारी हेतु प्रतिरक्षा अभियान, परिवार कल्याण, जनसंख्या शिक्षा, श्रमदान एवं स्थानीय योजनाओं के प्रति जानकारी एवं जनचेतना उत्पन्न करना।

(ण) सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु संस्था द्वारा बाल विवाह, नशाखोरी, दहेजप्रथा आदि के बारे में गोश्ठियों का आयोजन।

(य) पर्यावरण संरक्षण हेतु पेडों की सुरक्षा, वष्क्षारोपण, धूम्ररहित चूल्हे एवं सोलर कूकर का प्रचार प्रसार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, वष्द्धावस्था आश्रम का निर्माण, विकलांग आश्रम, अनाथ आश्रम, कुश्ठ आश्रम का निर्माण एवं स्वच्छ पेयजल योजना सामाजिक योजनाये व कार्यक्रम संचालित करना।

सुनीता चौधरी

(र) ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा के लिये शिक्षा पीठ / विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है तथा उच्च व उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिये तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नई तकनीकी व बेसिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिये उनके कोर्सों की फ्रेंचाई ले सकेगा तथा लक्ष्य की उपलब्धि की दर्षशिट से अपने पाठ्यक्रम की परीक्षायें भी आयोजित कर सकेगा। राजकीय स्वीकर्षति एवं मान्यता एतदर्थ प्राप्त कर सकता है।

4. सम्पत्ति :– संस्थापक ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त अंकन 51,000 / – रूपये प्राथमिक सम्पत्ति है। इस राशि में भविश्य में जों चल व अचल सम्पत्ति के तौर पर वर्षद्धि होगी, वह ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जायेगी। यह वर्षद्धि ट्रस्ट के उद्देश्य प्राप्त करने के लिये क्रय व विक्रय से, ब्याज, चंदे, किराये, उपहार, अनुदान शुल्क व ऋण आदि के द्वारा व सशर्त निधि के द्वारा सहमति से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति बनाये गये उपनियमों के अन्तर्गत, उद्देश्यो के अनुसार मुख्य ट्रस्टी (संस्थापक) के विवेकानुसार लाभार्थियों पर व्यय की जायेगी। अचल सम्पत्ति का दर्षशिटकोण भी चल सम्पत्ति जैसा माना जायेगा।

5. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षालयों, संस्थानों का संचालन व्यवस्था इसी ट्रस्ट के द्वारा सीधे की जायेगी अथवा ट्रस्ट उनके लिये समितियां भी नियुक्त कर सकेगा तथा उन समितियों के अधिकार व कर्तव्य व नियम आदि भी निर्धारित करेगा।

6. ट्रस्ट का संचालन :– ट्रस्ट की समग्र व्यवस्था तथा संचालन के लिये एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमे संस्थापक सहित अधिकतम 11 व न्यूनतम 5 ट्रस्टी होंगे। प्रथम बोर्ड आफ ट्रस्टीज निम्न प्रकर होगा जिसमे संस्थापक ट्रस्टी के अलावा चार ट्रस्टी निम्न प्रकार होंगे जिन्होने अपनी स्वीकृति सहर्श प्रदान कर दी है।

सुनील चौधरी

(1) श्री मति सुनीता चौधरी पत्नी श्री मदनपाल नि0 ग्राम कूकड़ा – अध्यक्ष।
(2) श्री मदनपाल पुत्र श्री ब्रहम सिंह नि0 कूकड़ा मु0 नगर– महामंत्री / कोषाध्यक्ष।
(3) कु0 अनु चौधरी पुत्री श्री मदनपाल नि0 कूकड़ा मु0 नगर –ट्रस्टी
(4) श्री शिव कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह नि0 परई मु0 नगर –ट्रस्टी
(5) श्री विशाल चौधरी पुत्र श्री महाराज सिंह नि0 गान्धीनगर मु0 नगर –ट्रस्टी

7. ट्रस्टी दो प्रकार के होंगे – आजीवन ट्रस्टी व साधारण ट्रस्टी। संस्थापक व श्री मदनपाल आजीवन ट्रस्टीज होंगे तथा मुख्य ट्रस्टी कहलायेंगे तथ शेष नियुक्त ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टीयों को छोडकर सभी ट्रस्टीयों के अधिकार व कर्तव्य सामान्य होंगे जो कि आजीवन ट्रस्टी द्वारा निर्धारित किये जायेंगें और उनका कार्य ट्रस्ट की व्यवस्था व संचालन मे मुख्य ट्रस्टीयों का हाथ बंटाना होगा ।

8. ट्रस्टी का कार्यकाल – आजीवन ट्रस्टीयों को छोडकर अन्य सभी ट्रस्टीयों का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। आजीवन ट्रस्टीयों की सहमति से साधारण ट्रस्टीयों का कार्य काल बढाया जा सकता है तथा नये ट्रस्टी नियुक्त किये जा सकते हैं।

9. मुख्य ट्रस्टीयों कां व्यक्तिगत अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल मे या वसीयत द्वारा अपनी मृत्यु के बाद वसीयत द्वारा अपने स्थान पर अपने पारिवारिक वयस्क सदस्य या अन्य किसी को मुख्य ट्रस्टी नियुक्त कर दे। अन्य मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्टी को कोई आपत्ति नही होगी। नये मुख्य ट्रस्टी का पुराने मुख्य ट्रस्टी की तरह ही सभी अधिकार प्राप्त होंगें।

10. यदि मुख्य ट्रस्टी अपने जीवनकाल मे या वसीयत द्वारा अपने स्थान पर मुख्य ट्रस्टी का घोषणा नही करता तब उसकी मृत्यु के पश्चात मुख्य ट्रस्टी घोषित होने के लिये वरीयता क्रमशः पुत्र व पुत्री को प्राप्त होगी।

11. ट्रस्ट बैठकों का प्रधान तथा उनका संचालक क्रमशः अध्यक्ष व महामंत्री होगें। यदि मुख्य ट्रस्टी किसी कारण से बैठक की अध्यक्षता करने मे असमर्थ है तो उस दशा में मुख्य ट्रस्टी के स्थान पर उनके द्वारा नामित ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे तथा निर्णय लेकर मुख्य ट्रस्टी से सहमति प्राप्त करके कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहने में मदद करेंगे। ट्रस्ट की बैठको के सम्बन्ध मे विस्तष्त नियमावली बोर्ड आफ ट्रस्ट बनायेगा जो कि इस ट्रस्ट डीड का भाग मानी जायेगी।

12. ट्रस्ट व उसके द्वारा स्थापित संस्थायो व विभिन्न कार्यो के सफल संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी अपने विवेक से समिति/उप समिति का गठन कर सकते है तथा उसे भंग कर सकते है। नियुक्त समिति अपने कार्य के लिये सीधे तौर पर मुख्य ट्रस्टी के प्रति जबाबदेह होगी।

13. ट्रस्ट अथवा समिति के लिये बुद्धिमान सद्भावी अनुशासनप्रिय सहयोगी मनोवष्त्ति वाले सेवा परायणविज्ञ तथा परम सत्य को मानने वाले सदस्य हीं लिये जायेंगे।

14. . बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक मे उपस्थित ट्रस्टीज का बहुमत का तीन बटा चार मान्य होगा तथा उनके द्वारा पारित प्रस्ताव/निर्णय को मुख्य ट्रस्टीयों से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा। मुख्य ट्रस्टी किसी भी प्रस्ताव/निर्णय को स्वीकार, अस्वीकार अथवा विरोध करने के लिये स्वतन्त्र होंगे तथा उनका निणय अन्तिम होगा।

15. सभी प्रकार के ट्रस्टी अथवा समिति के सदस्यो की अहर्यता निम्न कारणो से समाप्त मानी जायेगी।

(अ) सदस्य के पागल होने पर।
(आ) त्यागपत्र स्वीकार होने पर।
(इ) न्यायालय द्वारा किसी भी अनैतिक कार्य के लिये दोषी पाये जाने पर।
(ई) न्यायलय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर।
(उ) ट्रस्ट के उदेद्श्यो के विपरीत कार्य करने पर अथवा ऐसी गतिविधियो मे सक्रिय पाये जाने पर।

16. ट्रस्ट व समितियो के सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का दायित्व महामंत्री का होगा। महामंत्री ही व्यवस्थापक माना जायेगा और वह अपने सहयोग के लिये वैतनिक/अवैतनिक सहायक रख सकेगा। वेतन का निर्धारण बैठक में ट्रस्ट के उपलब्ध संसाधनों व पात्रता के आधार पर होगा। यदि कोई ट्रस्टी तकनीकी या शिक्षा सम्बन्धी या सम्बन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति में ट्रस्ट के लिये अतिरिक्त समय देता है और उसका हर्जा होता है तो उस दशा में मुख्य ट्रस्टी अपने विशेशाधिकार से उसे कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक दे सकते है परन्तु उसके लिये ट्रस्टी के पास विशेष योग्यता होना आवश्यक है।

17. ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था कार्यकलाप व गतिविधियों के लिये उद्देश्यों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अन्तर्गत देशकाल के अनुरूप आवश्यकता पडने पर नियम व उपनियम बनाने, उनमें परिवर्तन आजीवन न्यासियों की सहमति से किया जा सकेगा।

18. ट्रस्ट कोई व्यवसायिक कार्य ट्रस्ट के हित में देश काल, पात्र, परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

19. ट्रस्ट की आय व व्यय का पूरा ब्योरा रखने की जिम्मदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

20. ट्रस्ट की धनराशि को सार्वजनिक बैंकों में जमा कराया जायेगा तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत जैसा समयानुसार आवश्यक हो शिवा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिये,, धन की व्यवस्था व लेन–देन मुख्य ट्रस्टी (संस्थापक) अपने विवेक से करेंगे। जो भी धनराशि जहाँ जमा होगी उसको कोई भी दो नामित मुख्य ट्रस्टी अपनें संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाल सकेंगे। ट्रस्ट अपने उददेश्यो की पूर्ती के लिये किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है।

21. ट्रस्ट की धनराशि किसी विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्था या फर्म आदि में ट्रस्ट के उद्देष्यों के अनुसार यदि उचित हो तथा उनका विनियोजन करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। मुख्य ट्रस्टी अपने संयुक्त निर्णय व सहमति से ऐसा कर सकेंगे। एकल अधिकार नहीं होगा तथा इसकी सहमति एक सप्ताह में अन्य न्यासियों की मीटिंग बुलाकर उसे पास करा लेंगे।

22. किसी कारणवश ट्रस्टीगण इस निष्कर्श पर पहुंचे कि ट्रस्ट की संचालन व व्यवस्था में ट्रस्टीगण व आजीवन ट्रस्टीगण कारगर नहीं हो पा रहे हैं अथवा कोई अपनी मजबूरी हो अथवा कोई कानूनन स्थिति बने उस दशा में आजीवन ट्रस्टी व उस समय के ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वें इस ट्रस्ट को सक्रिय व योग्य व्यक्ति को उप ट्रस्टी बनाकर एक निश्चित समय के लिये कार्य चलवायें।

23. किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर या आजीवन ट्रस्टी की सहमति व अन्य ट्रस्टी की राय के अनुसार मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टीयों को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के हित में , ट्रस्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विक्रय कर सकते है, किराये पर दे सकते है अथवा उसका तबादला कर सकते है अथवा उसे खाली करा सकते है। यदि आवश्यक हो विनियोजित व स्थायी सम्पत्ति का विक्रय किया भी किया जा सकेगा। मुख्य ट्रस्टी की सहमति व हस्ताक्षरो से ट्रस्ट के उदेदश्यों के लिये भूमि भवन आदि अचल सम्पत्ति कभी भी क्रय विक्रय की जा सकती है। सम्पत्ति क्रय करने की दशा मे मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर प्रर्याप्त होंगे।

24. यदि धारा –3 मे उल्लेखित उद्देश्यो की पूर्ति किसी कारणवश नहीं की जा सकती और उसका आगे क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नही रह गया है और ट्रस्टी व सस्थापक उद्देश्य की प्राप्ति मे समय नही दे रहे हैं अथवा कोष के ससाधन समाप्त हो गये हैं और मामला किसी कानूनी क्रियाओं में अथवा वाद में फंस गया हो तो उस विपरीत स्थिति में मौजूदा ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसका विलय अन्य ट्रस्ट मे किया सकता है तथा सभी ट्रस्टीयो ने इस ट्रस्ट में जो भी अपना सहयोग धन व सम्पत्ति आदि से दिया है और विनियाजित किया है सबसे पहले उनको क्षतिपूर्ति सहित उनकी धनराशि व सम्पत्ति वापिस कर दी जायेगी एवं ट्रस्टी यदि कोई सम्पत्ति अथवा धन आदि अपने निजी आय से खर्च करते है अथवा ट्रस्ट मे दिया है ट्रस्ट के समाप्त होने पर उसे वापिस पाने के अधिकारी होगे।

25. यह कि ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक अपनी सेवायें अथवा धन अथवा सम्पत्ति देना चाहता है परन्तु उद्देश्य की प्राप्ति की भावना विपरीत न हो तो अनुकूल शर्तों के आधीन उसकी सम्पत्ति धन व सेवायें ली जा सकती हें और यदि वह सशर्त है तो उनका वापस भी किया जा सकता है और उनका लाभ भी यदि देय हो, तो ऐसा किया जा सकता है।

26. मुख्य ट्रस्टीयों का अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट या समिति द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी / शिक्षक / अधिकारी / शिक्षार्थी या व्यक्ति चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत संस्था से निष्कासित कर दे जिसके लिये उन्हे किसी प्रमाण की आवश्यक्ता नही होगी।

27. सभी प्रकार के विवादो के लिये क्षेत्राधिकार जनपद मुजफ्फरनगर मे होगा।

कार का नाम सुनीता चौधरी

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया					

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये **Rs.20**

रु.20

30 JAN 2009

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AA 767415

28. ट्रस्ट में जो भी कार्य करेंगे वह उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त सेवा की भावना से दिया गया कार्य माना जायेगा तथा उस पर रोजगार आदि कानून लागू नहीं होंगे क्योंकि ट्रस्ट सर्वाथ हितार्थ की भावना से तथा मिले हुये चंदे, दान व सशर्त मिली अनुदान निधि पर आधारित हैं, तथा यह सार्वजानिक संस्था व व्यापारिक केन्द्र नहीं है। अतः ट्रस्ट डीड लिख दी है प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति.

साक्षी------------------------

साक्षी------------------------

तहरीर ता0:– 07–02–2009ई0

ड्राफ्ट कर्ता:– सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।